न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध अपील वाद सं0–05/22–23

लव कुमार सिंह वगै0 बनाम आकाश कुमार वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
19/7/23	आवेदिका समुन्द्री देवी, पति–देवनारायण सिंह, साकिन–बहेरी, अंचल वो थाना–हंटरगंज, जिला–चतरा के द्वारा न्यायालय अंचल अधिकारी, हंटरगंज का विविध वाद सख्या–56/2021 मे दिनांक–10.11.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अधिवक्ता के माध्यम से विविध अपील वाद दायर किया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष समुन्द्री देवी की मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र लव कुमार सिंह एवं मोहन सिंह को पक्षकार बनाया गया है। द्वितीय पक्ष के मोहन सिंह का मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र विकास कुमार सिंह को पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि**–"यह कि आवेदिका ,अति वृद्ध, गरीब, कमजोर अकेली बेसहारा, अनपढ़ विधया महिला है वो अपने उपरोक्त पते पर रह कर सिर्फ खेती से प्राप्त उपज के सहारे किसी तरह अपना गुजर–बसर कर रही है। यह कि आवेदिका को अपना कोई भाई नहीं थे वह अपनी माता पिता अपने माता पिता अपने मायके में घरजमाई रह गई थी तथा अपने जन्म से उक्त जमीन के दखल–कब्जा में थी। **माता द्वारा रजिस्टर्ड दान प्राप्त होने** के बाद खास स्वत्व दखल कब्जा में आई। यह कि आवेदिक को अपनी माता सीता देवी जौजे रामेश्वर सिंह से रजिस्टर्ड दान–पत्र सख्या–8853 दिनांक–16.06.1988 से मौजा–बहेरी, तथा मौजा–डाहा में 2.69 एकड़ जमीन हासिल है जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है।	

मौजा	थाना नं0	खाता सख्या	प्लॉट संख्या	रकबा ए0/डी0	मध्ये रकबा ए0/डी0	चौहद्दी
बहेरी	79	9 9	214 218	0.05 0.07	$0.01\frac{2}{3}$	उ0–त्रिभुवन सिंह द0–रास्ता

1 Misc

				$0.02\frac{1}{3}$	पू0–रामयादव दुबे वगै0 प0–त्रिभुवन नरायण सिंह
	98	479	0.68	$0.22\frac{2}{3}$	उ0–वीर सिंह द0–सुखदेव सिंह पू0–रास्ता प0–लखन सिंह
	98	443	5.42	$1.80\frac{2}{3}$	उ0–वीर सिंह द0–सुखदेव सिंह पू0–रास्ता प0–लखन सिंह
79	15 15	219 220	0.05 0.11	$0.01\frac{2}{3}$ $0.03\frac{2}{3}$	उ0–ब्रह्मदेव सिंह द0–सुखदेव सिंह पू0–रामयाद दुबे प0–त्रिभुवन सिंह
कुल	**3**	**6**	**6.38**	**$2.12\frac{2}{3}$**	

मौजा	थाना नं0	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा ए0 / डी0	मध्ये रकवा ए0 / डी0	चौहद्दी
डाहा	122	35 35	100 102	1.10 0.60	$0.36\frac{2}{3}$ 0.20	उ0–प्र0 पिण्ड रास्ता द0–नगीना सिंह वगै0 पू0–प्र0 पिण्ड प0–गिरजा सिंह वगै0
	कुल	**2**	**2**	**1.70**	**$0.56\frac{2}{3}$**	

यह कि आवेदिका रजिस्टर्ड दान–पत्र प्राप्त कर उपरोक्त जमीन के खास दखल–कब्जा में आई तथा विभिन्न प्रकार के फसलों को लगवाकर उसके उपज को शांति पूर्वक अपने उपयोग में लाती रही तथा अपने नाम से अंचल में नामान्तरण के लिए आवेदन दी जिस पर आवेदिका का शांतिपूर्वक दखल–कब्जा, कारोवार सरोकार सब देखकर विधिवत् कानूनी प्रक्रिया के तहत आवेदिका के नाम से दाखिल खारिज केश संख्या–326 / 1991–92 के तहत् नामांतरण स्वीकृत हुई तथा आवेदिका के नाम से जमाबंदी कायम हुई। यह कि आवेदिका अंचल में मालगुजारी जमा कर रसीदें प्राप्त करने लगी तथा शांतिपर्वूक अब तक काविज दखलकार चली आ रही है। तथा अंचल में इस वावत् पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–68 / 3 पर जमाबंदी कायम है जो वर्तमान में कम्प्यूटर ऑन लाईन पर दर्ज है और उपलब्ध है। यह कि आवेदिका शांति पूर्वक अपने बहेरी स्थित मकान में रह रही है तथा दान–पत्र की चौहद्दी के अनुसार अपनी उपरोक्त जमीन मध्ये खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–443 की

जमीन में दो नए कमरा का निर्माण करने के लिए बुनियाद खोदने लगी तो सभी विपक्षी अचानक मजमा बना कर लाठी डण्डा अस्त्र–सस्त्र से लेश होकर आए तथा आवेदिका को गन्दा गन्दा गाली गलोज करते हुए मारपीट करने का धमकी देने लगे तथा काम रूकवा दिया तथा धमकी दिए कि काम कराग तो जान मार देंगे। यह कि विपक्षी जान मारने के धमकी के डर से आवेदिका को काम रूकवा दिए तो लाचार होकर आवेदिका ने अंचल अधिकारी हंटरगंज को लिखित आवेदन दिया जिस पर संबंधित कर्मचारी से जॉच रिपोर्ट की मांग की गई तथा विपक्षी को नोटिस दिया गया। यह कि विपक्षीगण नोटिस पाकर अंचल न्यायालय में उपस्थित हुए तथा एकदम जाली, झुठा, फर्जी, मनगढ़ंत, काल्पनिक, बनावटी छायाप्रति कुटकी केवाला (Un Registered Sale Deed) बनवा कर अपना सारा झुठा, गलत, और बनावटी पक्ष रखा तथा सारा छायाप्रति दस्तावेज दाखिल किया। यह कि आवेदिका ने अपने दावे के समर्थन में अपना ऑरिजनल रजिस्टर्ड दान–पत्र मूल रसीद, मूल आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, रजि0–2 की छायाप्रति ऑन लाईन रजि0–2 प्रति इत्यादि सारा दस्तावेज दाखिल की तथा अपने पक्ष के समर्थन में अपना सारा तथ्य अंचल अधिकारी हंटरगंज को विस्तार पूर्वक सुनाया। यह कि सुनवाई के बाद जब आवेदिका हंटरगंज (यहां के पश्चात् निम्न न्यायालय) के द्वारा मामले को संज्ञान में बिल्कुल भी नहीं लिया गया तथा कोई आदेश न देकर मामले को सीधा अपीलीय न्यायालय/सक्षम न्यायालय में जाने का आदेश दे दिया गया है। अंचल अधिकारी हंटरगंज वाद संख्या–56/2021 के आदेश दिनांक–10.11.2021 से क्षुब्ध और दुखी होकर यह अपील आवेदन आवेदिका द्वारा निम्नलिखित सुसंगत आधारों पर दायर किया जाता है। **आधारें** यह कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–10.11.2021 न्यायिक दृष्टिकोण से सही नहीं है अतः निरस्त होने लायक है तथा श्रीमान् न्यायालय द्वारा पूर्णतः संज्ञेय है। यह कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक मान्यताओं से हट कर अनुमान और उपमान के आधार पर पारित किया गया है अतः निरस्त होने लायक है। यह कि निम्न न्यायालय में आवेदिका के पक्ष को नहीं समझा गया अतः आदेश निरस्त होने लायक है। यह कि निम्न न्यायालय की कार्रवाई के दरम्यान निम्न न्यायालय में कर्मचारी से जो जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुआ है उसमें लिपिकिय भूल है जिसे देखा नहीं गया अतः निरस्त होने लायक है। यह कि निम्न न्यायालय द्वारा यह नहीं देखा गया कि Valid Transfer of property के लिए विधि मान्य T.P.A के अनुसार विपक्षी के कुटकी केवाला से Transfer of Title नहीं

होता है। यह कि निम्न न्यायालय द्वारा यह नहीं देखा गया कि विपक्षी का कुटकी केवाला जाली, फरजी, आधारहीन, बनावटी काल्पनिक, मनगढंत और गलत है। तथा गलत आधारहीन कुटकी केवाला के आधार पर कोई जमाबंदी भी समान रूप से आधारहीन गलत है अतः आदेश निरस्त होने लायक है। यह कि निम्न न्यायालय द्वारा यह नहीं देखा गया कि रामेश्वर सिंह को दो शादी नहीं थी तथा कभी रूपवती देवी के नाम से रामेश्वर सिंह की कोई दूसरी पत्नी तथा कल्लू सिंह के नाम से कोई पुत्र नहीं है अतः आदेश निरस्त होने लायक है। यह कि निम्न न्यायालय में विपक्षी द्वारा दावा किया गया कि स्व0 पूनित सिंह के तीन पुत्रों को कुल 6.10 एकड जमीन है किन्तु इसे संबध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, इस तथ्य को नहीं देखा गया अतः आदेश निरस्त होने लायक है। यह कि निम्न न्यायालय द्वारा यह नहीं देखा गया कि इस मामले में चौहद्दी विवाद है जिसे नहीं देखा गया अतः आदेश निरस्त होने लायक है। यह कि निम्न न्यायालय द्वारा यह नहीं देखा गया कि विपक्षी गलत आधारो पर अपना झुठा, मनगढंत, दावा प्रस्तुत कर रहें हैं तथा इस प्रकार न्यायिक रूप से विपक्षी को रोक जाना समीचीन था अतः आदेश निरस्त होने लायक है। यह कि अन्य सुसंगत आधारों को सुनवाई के समय प्रस्तुत किया जायेगा। अतः विद्वान न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि मामले में संज्ञान लेकर आवेदक के सही वाजीव दावे को देखते हुए आवेदक के दावे के पक्ष में आदेश पारित किया जाय तथा विपक्षी को उपरोक्त भूमि पर नाजायज रूप से जाने से रोकने का भी आदेश पारित किया जाय कि हक रसी हो वो न्याय हो सके। इसके लिए आवेदक श्रीमान् न्या0 के सदा अभारी रहेंगे।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–''यह कि यह अपील वाद अंचल अधिकारी हंटरगंज के द्वारा विविध वाद संख्या–56/2021 में दिनांक–11.10.2021 के पारित आदेश के विरूद्ध विविध अपील वाद दायर किया गया हैं जो मात्र समुन्द्री देवी द्वारा लाया गया और अन्य किसी को इसमें अंचल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कोई विरोध नहीं हैं। यह कि आवेदिका समुन्द्री देवी, पति–देवनारायण सिंह, ग्राम–बहेरी ने आवेदक दिये थें कि मौजा बहेरी खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–443, रकवा–5.42 एकड़ मध्ये रकवा–1.80$\frac{2}{3}$ एकड़ जमीन मुझे दिनांक–16.06.1982 को मसोमात सीता देवी, पति स्व0 रामेश्वर सिंह ग्राम–बहेरी से बजरिये केवाला दान पत्र द्वारा हासिल हैं। राजस्व

पंजी–2 में प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी मेरे नाम से कायम होकर राजस्व रसीद निर्गत हो रही है। इस जमीन पर मैं शांतिपूवक दखल कब्जा वो जोत आबाद कर रहीं हूँ। दिनांक–15.02.2021 को समय 11.00 बजे दिन में नये मकान हेतु परिवार के सदस्यों आवेदिका के बड़ा पुत्र लव सिंह वगैरह के साथ मकान का बुनियाद खोद रहे थे, इसी दौरान मेरे गोतिया व फरीक के आकाश कुमार वगैरह नाजायज मजमा बनाकर लाठी टांगी लोहे के सब्बल एवं रड़ से लैस होकर स्थल पर पहुचे एवं बुनियाद खोदने से मना करने लगे। इसके बाद सभी उपरोक्त लोग वहां से चले गए। मेरा दावा, विश्वास हैं कि उपरोक्त लोग दबंग और झगड़ालु स्वभाव के व्यक्ति हैं, हमलोग अपनी हकियत की इस जमीन पर दोबारा बुनियाद खोदने का प्रयास किये तो ये हमारे साथ अप्रिय घटना कर सकते हैं। इस पर संबंधित राजस्व कर्मचारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई, तथा दोनो पक्षों को नोटिस निर्गत की गई। यह कि राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–443, रकवा–1.10 $\frac{1}{2}$ एकड़ का दान पत्र केवाला संख्या–1861, तारीख 16.06.2021 के द्वारा आवेदिका के नाम से प्राप्त हैं, मूल कागजात की मांग दोनो पक्षो से करें। यह कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज के समक्ष द्वितीय पक्ष केवाला संख्या 747, दिनांक–04.02.72 एवं 1572, दिनांक–25.04.87 एवं कुटकी केवाला दिनांक–06.12.1953 का छायाप्रति समर्पित किया गया। यह कि द्वितीय पक्ष को यह भी कहना है कि खाता संख्या–98 प्लॉट संख्या–479, रकवा–0.22 डी0 जिसकी चौहद्दी उ0–जगदेव दुबे, द0–सुखदेव सिंह, पु0–अहरा, प0–रास्ता एवं खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–443, रकवा–0.70 डी0 जिसकी चौहद्दी उ0–सुखदेव सिंह, द0–सुखदेव सिंह, पु0–रास्ता, प0–नीज कुल रकवा–0.92 एकड़ तारीख 06.12.1953 ई0 में मसो0 सीता देवी पति स्व0 रामेश्वर सिंह से सुखदेव सिंह वल्द पुनित सिंह, साकिन–बहेरी, परगन्न दंतार थाना–हंटरगंज जिला–चतरा से कुटकी केवाला के द्वारा खरीद किये, जिसका दाखिल खारीज केस संख्या–23/1973–74 में सुखदेव सिंह के नाम से सरकारी रसीद वर्ष 1983/84 ई0 तक निर्गत हुआ, जिसका रसीद संख्या–798031 है फिर सुखदेव सिंह ता0 25.04.1987 ई0 में अपने पुतोहु श्रीमति उर्मिला देवी पति–मोहन सिंह 2. श्रीमति मरछी देवी, पति–लखन सिंह को खाता प्लॉट रकवा के जमीन के रजिस्ट्री संख्या–1779 दिनांक–25.04.1987 को कर दिये, रजिस्ट्री के पश्चात् उनके नाम से दाखिल खारिज केस संख्या–594/2010 में दर्ज हुआ जिसका ऑनलाईन में भी दर्ज

यह हुआ जो अभी ऑनलाईन डिमाण्ड रजिस्टर पर दर्ज होकर अंकित है। यह कि वर्ष 1972 ई0 में करमी देवी जौजे देवधारी सिंह साकिन–बहेरी, पो0–कोबना, थाना–हंटरगंज जिला चतरा ने लखन सिंह मोहन सिंह दोनो पिता–सुखदेव सिंह ने ता0 04.02.1972 ई0 में खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–479, रकवा–0.68 एकड़ मध्ये रकवा–22 $\frac{2}{5}$ एकड जिसकी चौहद्दी उ0–रामदयाल दुबे, द0–रामदयाल दुबे, पु0–अहरा, प0–सडक वो प्लॉट संख्या–443, रकवा–4.81 एकड़ मध्ये रकवा–1.60 डी0 जिसकी चौहद्दी उ0–वीर सिंह, द0–रामलाल वो भुवाली भुईयॉं, पु0–सड़क प0–भुवाली भुईयॉं रजिस्ट्री संख्या–448 ता0 04.02.1972 ई को कर दिये उक्त खाता प्लॉट रकवा के जमीन का दाखिल खारीज होकर रसीद कटते चल आ रहा हैं। इस प्रकार खरीदगी जमीन 0.92½ एकड़ कुल जमा रकवा–2.74½ एकड हैं। यह कि विपक्षी के परदादा पुनित सिंह के नाम से 6.10 एकड़ जमीन हैं। यह कि विपक्षी के परदादा पुनित सिंह के तीन पुत्र थें रामेश्वर सिंह, 2. देवधारी सिंह, सुखदेव सिंह प्रत्येक को लगभग 2.03 एकड होता हैं इस प्रकार खरीदगी जमीन 2.74½ एकड़ एव अपने हिस्से के जमीन 2.03 एकड़ कुल 4.77½ जमीन हैं। यह कि विपक्षी अंचल न्यायालय में भी अग्रह किये थें चूंकि मेरी खरीदगी जमीन एवं हिस्से के जमीन 4.77½ एकड़ जमीन मापी कर चिन्हित कर दिया जाय, शेष जमीन से विपक्षी को कोई मतलब नहीं हैं ताकि प्रथम पक्ष के विवाद से बच सकें। यह कि चूंकि प्रथम पक्ष समुन्द्री देवी झगड़ालु किश्म की महिला हैं। बेमतलब विवाद करते रहती हैं एवं उनकी नियत जमीन हड़पने का है इसलिए बगैर जानकारी के दबाव देने के नियत से केस करते रहते हैं। यह कि यह वाद ग्राम–बहेरी थाना–हंटरगंज, जिला–चतरा के खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–443, 479 रकवा–1.80 $\frac{2}{3}$ एकड़ भूमि से संबंधित है। जिसके लिए आवेदक समुन्द्री देवी के आवेदन पत्र पर वर्तमान कार्रवाई की गई हैं जो चलने योग्य नहीं हैं। यह कि आवेदिका के आवेदन पर विपक्षी को ता0 01.09.2022 को नोटिस दी गई नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विद्वान न्यायालय में विपक्षी उपस्थित हुए। यह कि विपक्षी का यह भी कहना है कि स्व0 रामेश्वर सिंह की दो शादी थी रूपवती देवी एवं सीता देवी रूपवती देवी से कल्लु सिंह उर्फ कलेश्वर सिंह वे स्व0 रामेश्वर सिंह हुए। यह कि सीता देवी, पति–रामेश्वर सिंह से पुत्री समुन्द्री देवी हुई ये दोनो मिलकर थाना संख्या–79 खाता संख्या–98 प्लॉट संख्या–479 रकवा–0.22 डी0 चौहद्दी उ0–जगदेव दुबे, द0–सुखदेव, पु0–आहर,

प0–रास्ता थाना संख्या–79 खाता संख्या–98 प्लॉट संख्या–443 रकवा–0.70 डी0 उ0–सुखदेव सिंह, पु0–रास्ता प0–नीज कुल रकवा–0.92 एकड द0–मसोमात सीता देवी जौजे रामेश्वर सिंह एवं कल्लु सिंह उर्फ कलेश्वर सिंह वल्द रामेश्वर सिंह मो0–92/– रूपया में ता0 06.12.1952 ई0 कुटकी केवाला कर दियें थें, जिसका कातिब व गवाह विन्देश्वर प्रसाद एवं शिव देवी सिंह, पुनित सिंह थें। उक्त रूपया कल्लु सिंह अपनी बहन के रोक शादी करने एवं जरूरी कार्य के लिए उक्त खाता, प्लॉट, रकवा के जमीन के बेच दिये थें। यह कि उक्त खाता, प्लॉट, रकवा के जमीन सुखदेव सिंह के हाथो बेचे थें, जिसका दाखिल खारीज होकर रसीद भी कटते चला आ रहा हैं। यह कि इसका दाखिल खारीज केस संख्या–23/1973–74 हैं, तथा सरकारी रसीद भी वर्ष 1983/84 ई0 तक कटा जिसका रसीद संख–898031 हैं। यह कि रजिस्ट्र के पश्चात् उनके नाम से दाखिल खारीज केस संख्या–594/2010–11 ई0 में दर्ज हुआ जो ऑनलाईन भी दर्ज हुआ जो अभी ऑनलाईन डिमाण्ड रजिस्टर पर दर्ज वो अंकित हैं। यह कि वर्ष 1972 ई0 में श्रीमति करमी देवी जौजे देवधारी सिंह, लखन सिंह 2. मोहन सिंह दोनो पिता सुखदेव सिंह चतरा को ता0 04.02.1972 ई0 में खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–479 रकवा–0.68 मध्ये $0.22\frac{2}{2}$ एकड़ जिसकी चौहदी उत्तर एवं दक्षिण–रामदयाल दुबे, पुरब–अहरा, प0–सड़क वो प्लॉट संख्या–443, रकवा–4.81 एकड़ मध्ये 1.60 एकड़ जिसकी चौहदी उ0–वीर सिंह, द0–रामलाल उर्फ भुवाली भुईयाँ, पु0–सड़क प0–भुवाली भुईयाँ, रजिस्ट्री संख्या–448 ता0 04.02.1972 ई0 को कर दिये उक्त खाता, प्लॉट, रकवा के जमीन का दाखिल खारीज होकर रसीद भी कटते चला आ रहा है, इस प्रकार खरीदगी जमीन 0.92+1.82½ कुल जमा रकवा–2.74½ एकड़ हैं, तथा विपक्षी एवं आवेदिका के परदादा पुनित सिंह के नाम से 6.10 एकड जमीन हैं। यह कि यह भी दृष्टिगोचर कराना चाहता हूँ कि परदादा के पुनित सिंह के तीन पुत्र थें। रामेश्वर सिंह 2. सुखदेव सिंह एवं 3. देवधारी सिंह प्रत्येक को लगभग 2.03 एकड़ जमीन हिस्सा होता हैं एवं खरीदगी जमीन 2.74½ एकड़ कुल 4.77 एकड़ जमीन निकाल दिया जाय, शेष जमीन से कोई मतलब नहीं है। यह कि उक्त खाता प्लॉट रकवा–की जमीन सुखदेव सिंह के हाथो बेचे हैं। जिसका दाखिल खारिज होकर रसीद भी कटते चला आ रहा हैं, जिसका दाखिल खारीज केस संख्या–23/1973–74 हैं एवं रसीद संख्या–898031 हैं। यह कि रजिस्ट्री के पश्चात् उनके नाम से दाखिल

खारिज केस सख्या–594 / 2010 ई0 में दर्ज हुआ जो ऑनलाईन रजिस्टर पर भी दर्ज हैं। यह कि 1972 ई0 श्रीमति करमी देवी जौजे देवधारी सिंह ने लखन सिंह 2. मोहन सिंह दोनो पिता–सुखदेव सिंह ता0 04.02.1972 ई0 में खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–443 रकवा–4.81 एकड मधे 160 एकड रजिस्ट्री संख्या–448, दिनांक–04.02.1972 ई0 को कर दिये, उक्त खाता प्लॉट, रकवा की जमीन का दाखिल खारीज होकर रसीद भी कटते चला आ रहा हैं। यह कि इस प्रकार खरीदगी जमीन 0.92+1.80⅓ एकड कुल जमा रकवा–2.74⅓ एकड़ एवं विपक्षी के परदादा के नाम 6.10 एकड जमीन हैं इसमें 2.03 एकड़ प्रत्येक हिस्सेदार का हिस्सा होता हैं जो सिडयूल 'बी' में वंशावली में वर्णित है। यह कि पुनित सिंह के तीन लड़के थें। वंशावली आवेदन में अंकित है। माँ सीता देवी एवं बेटा कलु सिंह 06.12.1953 ई0 को 0.92 ए0 जमीन बेचे। यह कि विपक्षी आवेदिका / अपीलार्थी के माता एवं भाई से जमीन खरीदी गई थी तथा खरीदगी के तिथि से उक्त जमीन पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा में चल रहा हैं। एवं सरकार को मालगुजारी देकर रसीद भी कटते चला आ रहा है। यह कि अपीलार्थी को सिर्फ जमीन हड़पने का नियत हैं, बगैर जानकारी के दबाव देने के नियत से केस कर जमीन हड़पना चाहती हैं। महाशय जबकि रामेश्वर सिंह के हिस्से में से प्रथम पक्ष की माता सीता देवी एवं रामेश्वर सिंह की दूसरी पत्नी रूपवती देवी के पुत्र कल्लु सिंह उर्फ कोलेश्वर सिंह 2.03 एकड़ में से 0.92 एकड जमीन ता0 06.12.1953 ई0 में ही बेच चुकी है। शेष 1.11 एकड़ जमीन बचा था जबकि विद्वान न्यायालय को दिग्भ्रमित करने के लिए अपने माता सीता देवी से समुन्द्री देवी वर्ष 1988 ई0 में $1.80\frac{1}{3}$ एकड़ जमीन दिनांक–16.06.1988 ई0 को दानपत्र द्वारा किस प्रकार और कैसे लिखा लिए ये जान बुझकर विवाद बढ़ाकर विपक्षी को कमजोर समझकर जमीन हड़पना चाह रहीं है, जो सरासर नाजायज एवं गलत हैं। यह कि इस प्रकार अपीलार्थी का अपील किसी दृष्टि से पोषणीय नहीं हैं वो चलने योग्य नहीं हैं तथा खारीज करने योग्य हैं, अंत अपीलार्थी का अपील खारीज किया जाय, ताकि भविष्य में बेमतलब झगड़ा का कारण नहीं बन सकें। यह कि इस प्रकार अंचलधिकारी, हंटरगंज का आदेश पूर्णतः सही एवं अपना क्षेत्राधिकार का प्रयोग किये हैं। यह कि अपीलार्थी का अपील का ग्राउण्ड गलत एवं सच्चाई से परे हैं एवं जो व्यक्ति न्यायालय में सच्चाई छुपाकर आते है, वे किसी भी अनुतोष न्यायालय से पाने का अधिकारी नहीं हैं। अंत इस आधार पर भी अपील आवेदन खारीज करने

खारिज केस सख्या–594/2010 ई0 में दर्ज हुआ जो ऑनलाईन रजिस्टर पर भी दर्ज हैं। यह कि 1972 ई0 श्रीमति करमी देवी जौजे देवधारी सिंह ने लखन सिंह 2. मोहन सिंह दोनो पिता–सुखदेव सिंह ता0 04.02.1972 ई0 में खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–443 रकवा–4.81 एकड मधे 160 एकड रजिस्ट्री संख्या–448, दिनांक–04.02.1972 ई0 को कर दिये, उक्त खाता प्लॉट, रकवा की जमीन का दाखिल खारीज होकर रसीद भी कटते चला आ रहा हैं। यह कि इस प्रकार खरीदगी जमीन 0.92+1.80½ एकड़ कुल जमा रकवा–2.74½ एकड़ एवं विपक्षी के परदादा के नाम 6.10 एकड जमीन हैं इसमें 2.03 एकड़ प्रत्येक हिस्सेदार का हिस्सा होता हैं जो सिडयूल 'बी' में वंशावली में वर्णित है। यह कि पुनित सिंह के तीन लडके थें। वंशावली आवेदन में अंकित है। माँ सीता देवी एवं बेटा कलु सिंह 06.12.1953 ई0 को 0.92 ए0 जमीन बेचे। यह कि विपक्षी आवेदिका/अपीलार्थी के माता एवं भाई से जमीन खरीदी गई थी तथा खरीदगी के तिथि से उक्त जमीन पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा में चल रहा हैं। एवं सरकार को मालगुजारी देकर रसीद भी कटते चला आ रहा है। यह कि अपीलार्थी को सिर्फ जमीन हड़पने का नियत हैं, वगैर जानकारी के दबाव देने के नियत से केस कर जमीन हड़पना चाहती हैं। महाशय जबकि रामेश्वर सिंह के हिस्से में से प्रथम पक्ष की माता सीता देवी एवं रामेश्वर सिंह की दूसरी पत्नी रूपवती देवी के पुत्र कल्लु सिंह उर्फ कोलेश्वर सिंह 2.03 एकड़ में से 0.92 एकड़ जमीन ता0 06.12.1953 ई0 में ही बेच चुकी है। शेष 1.11 एकड़ जमीन बचा था जबकि विद्वान न्यायालय को दिग्भ्रमित करने के लिए अपने माता सीता देवी से समुन्द्री देवी वर्ष 1988 ई0 में $1.80\frac{1}{3}$ एकड़ जमीन दिनांक–16.06.1988 ई0 को दानपत्र द्वारा किस प्रकार और कैसे लिखा लिए थे जान बुझकर विवाद बढ़ाकर विपक्षी को कमजोर समझकर जमीन हड़पना चाह रहीं है, जो सरासर नाजायज एवं गलत हैं। यह कि इस प्रकार अपीलार्थी का अपील किसी दृष्टि से पोषणीय नहीं हैं वो चलने योग्य नहीं हैं तथा खारीज करने योग्य हैं, अंत अपीलार्थी का अपील खारीज किया जाय, ताकि भविष्य में बेमतलब झगड़ा का कारण नही बन सकें। यह कि इस प्रकार अंचलधिकारी, हंटरगंज का आदेश पूर्णतः सही एवं अपना क्षेत्राधिकार का प्रयोग किये हैं। यह कि अपीलार्थी का अपील का ग्राउण्ड गलत एवं सच्चाई से परे हैं एवं जो व्यक्ति न्यायालय में सच्चाई छुपाकर आते है, वे किसी भी अनुतोष न्यायालय से पाने का अधिकारी नहीं हैं। अंत इस आधार पर भी अपील आवेदन खारीज करने

योग्य है। यह कि दखल कब्जा में विपक्षी चले आ रहे हैं तथा मालगुजारी देते आ रहें हैं जो 12 वर्षों से पूर्व का हैं, अंत अपीलार्थी का "एडवर्स पोजेसन" का आधार पर भी हक हित प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में यह स्पष्ट हैं कि निम्न न्यायालय के आदेश में कोई भी illegality, irregularity नहीं हैं बल्कि उपलब्ध कागजातों एवं कब्जा प्रतिवेदन के आधार पर निम्न न्यायालय का आदेश उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं तथा पारित आदेश पूर्णतः उचित तथ्यानुसार एवं कानूनी रूप से बंध है एवं किस भी प्रकार से हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं हैं। अतः श्रीमान से अनुरोध हैं कि निम्न न्यायालय के आदेश के पृष्टि करते हुए अपीलार्थी का अपील वाद खारीज की कृपा की जाय।

अंचल अधिकारी, हंटरगंज ने अपने आदेश फलक में यह उल्लेखित किया है कि–"यह अभिलेख आवेदिका समुद्री देवी, पति–देवनारायण सिंह, ग्राम–बहेरी बनाम आकाश कुमार एवं अन्य के बीच मौजा–बहेरी, खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–443, रकवा–5.42 ए0 मधे रकवा–1.82 $\frac{2}{3}$ ए0 भूमि से संबंधित है। आवेदिका समुदी देवी, पति–देवनारायण सिंह, ग्राम–बहेरी के आवेदन के आलोक में दोनो पक्षों को नोटिस निर्गत कर राजस्व कागजात की मांग की गई एवं संबंधित राजस्व कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन का मांग किया गया। निर्धारित समयानुसार दोनों पक्षो के द्वारा उपस्थिति दी गई। दोनो पक्षों के द्वारा अपने–अपने पक्ष में निम्नवत राजस्व कागजात समर्पित किया गय है।

<u>प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित राजस्व कागजात का विवरणः–</u>

- लिखित ब्यान की प्रति (3) तीन प्रति में।
- लगान रसीद संख्या–J8/41, 4839468 की छायाप्रति।
- केवाला मसो0 सीता देवी, जौजे स्व0 रामेश्वर सिंह से श्रीमती समुद्री देवी, जौजे देवनारायण सिंह ने 24.06.1988 को खाता संख्या–9, 98, 15 की भूमि का क्रय किया के केवाला की छायाप्रति।

<u>द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित राजस्व का विवरणः–</u>

- लिखित ब्यान की प्रति (3) तीन प्रति में।
- क0 केवाला दिनांक–06.12.1953 का प्रति एवं हिन्दी रूपान्तर का प्रति।
- केवाला संख्या–1572 / 25.04.1987 एवं केवाला संख्या–747 / 04.02. 1972 की छायाप्रति।

राजस्व कर्मचारी के द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम–बहेरी, थाना संख्या–79 के अंदर खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–443, रकबा–1.10$\frac{1}{2}$ ए0 का दान पत्र केवाला संख्या–1861 दिनांक–16.06.1988 के द्वारा समुद्री देवी, पति–देवनारायण सिंह से प्राप्त है जिसका सरकारी लगान रसीद पंजी–2 के पेज सख्या–68/3 दा0 खा0 केश संख्या–326/91–92 के द्वारा दर्ज होकर वर्ष 2010–11 तक निर्गत है प्रतिवेदित भूमि पर आवेदिका द्वारा मकान निर्माण करने के लिए बुनियाद खोदा के समय द्वितीय पक्ष आकाश कुमार, विकास कुमार, पिता–मोहन सिंह, प्रवीण कुमार, पिता–लखन सिंह, मोहन सिंह, पिता–स्व0 सुखदेव सिंह, अनिता देवी, पति–गोपान सिंह, बेबी देवी, पति–आकाश कुमार एवं अन्य ग्राम–बहेरी के द्वारा विवाद किया गया एवं बुनियाद खोदने से रोका गया। अतः दोनो पक्षों को नोटिस निर्गत कर मूल कागजात की मांग करते हुए अंचल अमीन से मापी कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती हैं। भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है।

<u>प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित ब्यान</u>

- यह कि यह वाद ग्राम बहेरी के खाता सख्या–98 प्लॉट संख्या–443, 479 रकबा–1.80$\frac{2}{3}$ एकड़ भूमि से संबंधित है जिसकें लिए आवेदिका के आवेदन पर वर्तमान कार्यवाही प्रस्तुत की गयी है।
- यह कि आवेदिका ने मसोमात सीता देवी, पति–रामेश्वर सिंह से बजरिये निबंधित केवाला दिनांक–16.06.1988 के ग्राम–बहेरी के उपर वर्णित जमीन के अन्य जमीनो के साथ खरीदकर दखलकार हुए है।
- यह कि उस केवाला में खाता संख्या–9 तथा खाता संख्या–98 प्लॉट संख्या–479 तथा प्लॉट संख्या–443 तथा खाता संख्या–15 के प्लॉट संख्या–219 है पर विवाद प्लॉट संख्या–443 एवं 479 पर विपक्षीगण के द्वारा किया जा रहा है।
- यह कि जमीन खरीदने के बाद आवेदिका खास दखलकार हुई तथा आवेदिका के नाम जमाबंदी खोलकर सरकारी रसीद निर्गत की गई है जो के आधार पर है जो पंजी–2 के पृष्ठ सख्या–68/3 पर अंकित है।
- यह कि विपक्षीगण का दावा मात्र गोतिया होने के आधार पर है जबकि आवेदिका के द्वारा स्वयं अर्जित धन से उक्त जमीन को खरीदा गया

कर्मचारी के द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि
हेरी, थाना संख्या–79 के अंदर खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–443,
–1.10$\frac{1}{2}$ ए0 का दान पत्र केवाला संख्या–1861 दिनांक–16.06.1988 के
समुद्री देवी, पति–देवनारायण सिंह से प्राप्त है जिसका सरकारी लगान
द पंजी–2 के पेज सख्या–68/3 दा0 खा0 केश संख्या–326/91–92
द्वारा दर्ज होकर वर्ष 2010–11 तक निर्गत है प्रतिवेदित भूमि पर
वेदिका द्वारा मकान निर्माण करने के लिए बुनियाद खोदा के समय द्वितीय
त आकाश कुमार, विकास कुमार, पिता–मोहन सिंह, प्रवीण कुमार,
ता–लखन सिंह, मोहन सिंह, पिता–स्व0 सुखदेव सिंह, अनिता देवी,
ति–गोपान सिंह, बेबी देवी, पति–आकाश कुमार एवं अन्य ग्राम–बहेरी के
द्वारा विवाद किया गया एवं बुनियाद खोदने से रोका गया। अतः दोनो पक्षों
को नोटिस निर्गत कर मूल कागजात की मांग करते हुए अंचल अमीन से
मापी कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। भूमि गैरमजरूआ खास
खाते की भूमि है।

प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित ब्यान

- यह कि यह वाद ग्राम बहेरी के खाता सख्या–98 प्लॉट संख्या–443, 479 रकबा–1.80$\frac{2}{3}$ एकड भूमि से संबंधित है जिसकें लिए आवेदिका के आवेदन पर वर्तमान कार्यवाही प्रस्तुत की गयी है।
- यह कि आवेदिका ने मसोमात सीता देवी, पति–रामेस्वर सिंह से बजरिये निबंधित केवाला दिनांक–16.06.1988 के ग्राम–बहेरी के उपर वर्णित जमीन के अन्य जमीनो के साथ खरीदकर दखलकार हुए है।
- यह कि उस केवाला में खाता संख्या–9 तथा खाता संख्या–98 प्लॉट सख्या–479 तथा प्लॉट संख्या–443 [illegible] संख्या–219 है [illegible]
- [illegible]

[illegible] पर दर्ज होकर अंकित है। वर्ष 1972 ई0 में [illegible] –बहेरी, पो0–कोबना, थाना–हंटरगंज [illegible] दोनो पिता–सुखदेव सिंह

है जो उसकी स्त्रीधन है और स्त्रीधन स्त्री का अपनी सम्पति है, जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता है।

➢ यह कि आवेदिका खरीदगी तिथि से ही अपने द्वारा खरीदगी जमीन पर दखलकार है तथा दखल कब्जा को देखते हुए तत्कालिन अंचल अधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज आवेदन स्वीकृत किया गया जिसका कोई अपील विपक्षीगण के द्वारा नहीं किया गया तथा जमीन के बटवारा के लिए सक्षम न्यायालय के द्वारा कोई मुकदमा भी नहीं किया गया है। चूकी विपक्षी गलत आरोप लगाकर तथा आवेदिका को कमजोर समझ कर बेवजह परेशान कर रहे है। आवेदिका द्वारा अनुरोध किया गया है कि इस लिखित कथन को स्वीकार कर आवेदिका को इस कार्यवाही से मुक्त करते हुए विपक्षीगण को आवेदिका के खरीदगी जमीन पर दावा करने से रोकने का आदेश देने की कृपा की जाय।

<u>द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित लिखित बयान</u>

इन्होने अपने लिखित जवाब में उल्लेखित किया है कि उक्त वाद प्रथम पक्ष समुद्री देवी द्वारा विद्वान न्यायालय में लाई गई है। संबंधित खाता प्लॉट रकवा के जमीन के कागजात वही प्रस्तुत कर सकती है। मेरा इस वाद में कहना है कि खाता संख्या–98 प्लॉट संख्या–479 रकवा–0.22 डी0 चौहद्दी उत्तर जगदेव दूबे दक्षिण सुखदेव सिंह पुरब अहरा पश्चिम रास्ता एवं खाता संख्या–98 प्लॉट संख्या–443 रकवा–0.70 डी0 चौहद्दी उतर सुखदेव सिंह, दक्षिण सुखदेव सिंह पुरब रास्ता पश्चिम निज कुल रकवा–0.92 ए0 मारीख 06.12.1953 ई0 मसो0 सीता देवी, पति–स्व0 रामेश्वर सिंह से सुखदेव सिंह वल्द पुनीत सिंह, साकिन–बहेरी परगाना–दन्तार, थाना–हंटरगंज, जिला–चतरा से कुटकी केवाला के द्वारा खरीद किये जिसका दाखिल खारीज केस संख्या–23/1973–74 में सुखदेव सिंह के नाम से सरकारी रसीद वर्ष 1983–84 ई तक निर्गत हुआ जिसका रसीद संख्या–798031 है। फिर सुखदेव सिंह तारीख 25.04.1987 ई0 में अपने पतोहु 1. श्रीमती उर्मिला देवी, पति–मोहन सिंह 2. श्रीमती मरछी देवी, पति–लखन सिंह को उक्त खाता, प्लॉट रकवा के जमीन के रजिस्ट्री संख्या–1779 दिनांक–25.04.1987 को कर दिये। रजिस्ट्री के पश्चात् उनके नाम से दाखिल खारीज केस सख्या–594/2010–11 में दर्ज हुआ जिसका ऑनलाईन में भी दर्ज हुआ जो अभी ऑनलाईन डिमाण्ड रज़िस्ट्री पर दर्ज होकर अंकित है। वर्ष 1972 ई0 में करमी देवी जौजे देवधारी सिंह, साकिन–बहेरी, पो0–कोबना, थाना–हंटरगंज जिला–चतरा ने 1. लखन सिंह 2. मोहन सिंह दोनो पिता–सुखदेव सिंह

7/23/22, 2:18 PM

साकिन–बहेरी, थाना–हंटरगंज, पो0–कोबना, जिला चतरा के तारीख 04.02. 1972 ई में खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–479, रकवा–0.68 ए0 मधे रकवा–22 2/5 ए0 जिसका चौहद्दी उत्तर रामदयार दुबे, दक्षिण रामदयाल दबे, पुरब–अहरा, पश्चिम–सड़क वो प्लॉट संख्या–443, रकवा–4.81 ए0 मधे रकवा–1.60 ए0 जिसकी चौहद्दी उत्तर–वीर सिंह, दक्षिण–रामलाल वो भुवाली भुईयॉ, पुरब–सड़क पश्चिम–भुवाली भुईयॉ रजिस्ट्री संख्या–448/04.02.1972 ई0 को कर दिये उक्त खाता प्लॉट रकवा के जमीन का दाखिल खारीज होकर रसीद कटते चला आ रहा है। इस प्रकार खरीदगी जमीन 0.92+1.82 1/2 ए0 कुल जमा रकवा–2.74 1/2 ए0 है तथा मेरे परदादा पुनीत सिंह के नाम से 6.10 ए0 जमीन है, मेरे परदादा पुनीत सिंह के तीन पुत्र थे। 1. रामेश्वर सिंह, 2. सुखदेव सिंह 3. देवधारी सिंह प्रत्येक को लगभग 2.03 ए0 हिस्सा होता है। इस प्रकार खरीदगी जमीन 2.74$\frac{1}{2}$ ए0 अपने हिस्से के जमीन 2.03 ए0 कुल रकवा–4.77 1/2 जमीन है। इन्होंने अनुरोध किया है कि मेरी खरीदगी जमीन एवं हिस्से के जमीन 4.77$\frac{1}{2}$ ए0 जमीन मापी कर चिन्हित कर दिया जाय एवं शेष जमीन से मेरा कोई मतलब वो सरोकर नहीं है। ताकि प्रथम पक्ष के विवाद से शांति मिल सकें। यह कि प्रथम पक्ष समुद्री देवी, झगड़ालु किस्म के महिला है बेमतलब विवाद करते रहती है एवं उनकी नियम हड़पने का है इसलिए बगैर जानकारी के दबाव देने के नियत से केस करते रहते है। इन्होनों उल्लेख किया है कि मेरा खरीदगी जमीन एवं हिस्से की जमीन कुल रकवा–1.77$\frac{1}{2}$ ए0 मापी कर निकालकर चिन्हित करने की कृपा की जाय।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दिनांक–27.10.2021 को समर्पित लिखित ब्यानः–

1. यह वाद ग्राम–बहेरी, थाना–हंटरगंज, जिला–चतरा के खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–443, 479, रकवा–1.80$\frac{2}{3}$ ए0 भूमि से संबंधित है जिसके लिए आवेदिका समुद्री देवी के आवेदन पत्र पर वर्तमान कार्यवाही की गई है जो चलने योग्य नहीं है।
2. तत्पश्चात् आवेदिका के आवेदन पत्र पर विपक्षीगण को नोटिस दिनांक–04.06.2021 को दी गई नोटिस प्राप्ति के वाद विपक्षीगण विद्वान न्यायालय में उपस्थित हुए।
3. मेरा इस वाद में कहना है कि स्व0 रामेश्वर सिंह कीदो शादी थीं 1. रूपवती देवी एवं 2. सीता देवी 1. रूपवती देवी से कल्लु सिंह उर्फ

कलेश्वर सिंह, पिता–स्व0 रामेश्वर सिंह हुए 2. सीता देवी, पति7स्व0 रामेश्वर सिंह से पुत्री समुद्री देवी हुई ये दोनो मिलकर थाना संख्या–79, खाता संख्या–98, प्लॉट सख्या–479 रकवा–0.22 ए0 चौहद्दी उत्तर–जगदेव दुबे, दक्षिण–सुखदेव सिंह, पुरब–आहर, पश्चिम–रास्ता, थाना संख्या–79 खाता संख्या–98 प्लॉट संख्या–443, रकवा–0.70 ए0, चौहद्दी–उत्तर सुखदेव सिंह, दक्षिण–सुखदेव सिंह, पुरब–रास्त, पश्चिम–नीज कुल रकवा–0.92 ए0 मसो0 सीता देवी जौजे रामेश्वर सिंह एवं कलु सिंह उर्फ कलेश्वर सिंह वल्द रामेश्वर सिंह मो0 92 रूपया में तारीख 06.12.1953 ई0 में कुटकी केवाला कर दिये थे, जिसका काबिज और गवाह विन्दश्वरी प्रसाद साकिन–कोबना एवं गवाह शिवदेवी सिंह एवं गवाह पुनीत सिंह थे उक्त रूपया कलु सिंह अपनी बहन के रोकसदी करने एवं जरूरी कार्य के लिए उक्त खाता, प्लॉट रकवा के जमीन को बेचकर किये थें।

4. यह कि उक्त खाता प्लॉट रकवा की जमीन सुखदेव सिंह के हाथों बेचे थे जिसका दाखिल खारीज होकर रसीद भी कटते चला गया जिसका दाखिल खारीज केश संख्या–23/1973–74 है तथा सरकारी रसीद वर्ष 1983–84 ई तक कटा जिसका रसीद संख्य–898031 है।

5. रजिस्ट्री के पश्चात उनके नाम से दाखिल खारीज केस संख्या–594/2010–11 ई0 में दर्ज हुआ जिसका ऑनलाईन भी दर्ज हुआ जो अभी ऑनलाईन डिमाण्ड रजिस्टर पर दर्ज वो अंकित है।

6. यह कि वर्ष 1972 ई0 में श्रीमती कर्मी देवी जौजे श्री देवधारी सिंह, साकिन–बहेरी पो0–कोबना थाना–हंटरगंज जिला–चतरा ने 1. लखन सिंह 2. मोहन सिंह दोनो पिता–सुखदेव सिंह साकिन–बहेरी, पो0–कोबना थाना–हंटरगंज, जिला–चतरा को तारीख 04.02.1972 ई0 में खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–479, रकवा–0.68 ए0 मधे 0.22 1/2 ए0 जिसकी चौहद्दी उत्तर–रामदयाल दुबे, दक्षिण–रामदयाल दुबे, पुरब–अहार, पश्चिम–सडक वो प्लॉट संख्या–443 रकवा–4.81 ए0 मधे 1.60 ए0 जिसकी चौहद्दी उत्तर–वीर सिंह, दक्षिण–शामलाल उर्फ मुवाली भुईयॉं, पुरब में सड़क, पश्चिम–भुवाली भुईयाँ रजिस्ट्री सख्या–448 तारीख–04.02.1972 ई0 को कर दिये उक्त खाता प्लॉट रकवा के जमीन का दाखिल खारिज होकर रसीद भी कटते चला आ रहा है। इस प्रकार खरीदगी जमीन 0.92+1.82 1/2 ए0 कुल जमा रकवा–2.74 1/2 ए0 एवं विपक्षी के परदादा के नाम से 6.10 जमीन

है इसमें 2.03 ए0 प्रत्येक हिस्सेदार का हिस्सा होता है जो सिड्युल "8" में वंशावली में वर्णित है:–

7. यह कि स्व0 पुनीत सिंह के तीन लडके थे।

वंशावली

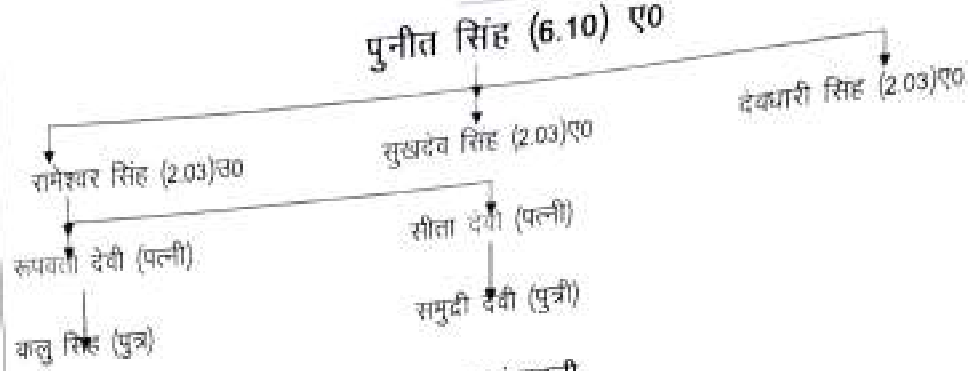

सिड्युल 8 वंशावली

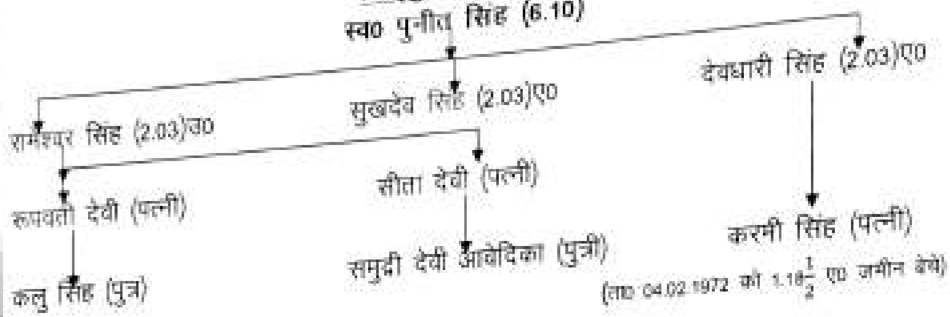

माँ सीता देवी एवं बेटा कलु सिंह 06.12.1953 ई0 को 0.92 ए0 जमीन बेचे। 2.03 ए0 हिस्सा होता है अतः

- इस प्रकार प्रत्येक हिस्सेदार को 2.03 ए0 हिस्सा होता है अतः विपक्षी / द्वितीय पक्ष को खरीदगी जमीन 2.74 ए0 एवं अपने हिस्से के 2.03 ए0 कुल रकवा–4.77 ए0 जमीन है।
- महाशय विपक्षी का निवेदन है कि विपक्षी की खरीदगी जमीन जो आवेदिका के माता एवं भाई से खरीदी गई है तथा हिस्से की जमीन 2.03 ए0 कुल रकवा–4.77 ए0 मापी कर चिन्हित कर दिया जाय एवं शेष जमीन से विपक्षी को कोई मतलब सरोकर नहीं है। ताकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के बेमतलब विवाद से बच सकें।

यह कि द्वितयी पक्ष खरीदगी एवं अपने हिस्से के जमीन पर शांति पूर्वक दखल कब्जा में खरीदगी के तिथि से चला आ रहा है और अभी काबिज है तथा दाखिल खारीज होकर सरकारी रसीद भी कटते चला आ रहा है। सरकार को मालगुजारी भी दे रहा है। यह कि प्रथम पक्ष समुद्री देवी झगड़ालु किस्म की महिला है बेमतलब विवाद करते रहती है एवं उनकी

नियत जमीन हड़पने की है, इसलिए बगैर जाकारी के दबाव देने के नियम से केस करती है एवं जमीन को हडपना चाहती है। महाशय जबकि रामेश्वर सिंह के हिस्से से केस करती रहती है एवं जमीन को हड़पने चाहती है। महाशय जबकि रामेश्वर सिंह के हिस्से में से उनकी प्रथम पक्ष का माता सीता देवी एवं रामेश्वर सिंह के दुसरी पत्नी रूपवती देवी के पुत्र कल्लु सिंह उर्फ कालेश्वर सिंह 2.03 ए0 में से 0.92 ए0 तारीख 06.12.1953 ई0 में ही बेच चुकी हैं। शेष 1.11 ए0 जमीन बचा था जबकि विद्वान न्यायालय को दिग्भ्रमित करने के लिए अपने माता सीता देवी से समुद्री देवी वर्ष 1988 ई0 में 1.80 2/3 ए0 जमीन दिनांक–16.06.1988 ई को दान पत्र द्वारा किस प्रकार और कैसे लिखा लिये? ये जान बुझकर कर विवाद बढा कर द्वितीय पक्ष को कमजोर समझ कर जमीन हड़पना चाह रही है। जो सरासर नाजायत वो गलत है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक पत्र किसी भी दृष्टि से पोषणीय वो चलने योग्य नहीं है। ये खारिज करने योग्य है। अतः वाद/आवेदक के आवेदन पत्र को खारीज किया जाय ताकि भविष्य में बेमतलब झगड़ा का कारण नहीं बन सके और विपक्षीगण शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वार किए गए विवेचना (बहस) तथा राजस्व कर्मचारी के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन वो दोनो पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित ब्यान के अवलोकन से निम्न तथ्य उल्लेखित होते है:– प्रथम पक्ष (आवेदिका) के द्वारा अपने पक्ष में मौजा बहेरी खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–443, 479 रकवा–1.80 2/3 ए0 भूमि से संबंधित है। प्रश्नगत भूमि आवेदिका को मसो0 सीता देवी पति रामेश्वर सिंह से बजरीये निबंधित केवाला 16.06.1988 को प्राप्त किये। उक्त केवाला में खाता संख्या–09 तथा 98 प्लॉट सख्या–479 तथा प्लॉट 443 तथा प्लॉट संख्या–219 है, पर विवाद प्लॉट संख्या–443 एवं 479 पर विपक्षीगण (द्वितीय पक्ष) के द्वारा किया जा रहा है। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदितानुसार मौजा–बहेरी, थाना संख्या–79 के अंदर खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–443, रकवा–1.10 1/2 ए0 का दान पत्र केवाला संख्या–1861 दिनांक–16.06.1988 के द्वारा समुद्री देवी, पति–देवनारायण सिंह के नाम से प्राप्त है। जिसका सरकारी लगान रसीद पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–68/3 दा0 खा0 केस संख्या–326/91–92 के द्वारा दज होकर वर्ष 2010–11 तक निर्गत है। द्वितीय पक्ष के मौजा–बहेरी, खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–479, रकवा–0.22 ए0 चौहद्दी उत्तर–जगदेव दुबे, दक्षिण–सुखदेव सिंह, पुरब–अहरा, पश्चिम–रास्ता एवं खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–443, रकवा–0.70 ए0

चौहद्दी उत्तर सुखदेव सिंह, दक्षिण–सुखदेव सिंह, पुरब–रास्ता, पश्चिम–नीज कुल रकवा–0.92 ए0 भूमि तारीख 06.12.1953 में मसो0 सीता देवी, पति–रामेश्वर सिंह से सुखदेव सिंह वल्द पुनीत सिंह साकिन–बहेरी, परगना–दन्तार, थाना–हंटरगंज जिला–चतरा को कुटकी केवाला के द्वारा खरीद किये जिसका दाखिल खारीज केस संख्या–23/1973–74 में सुखदेव सिंह के नाम से सरकारी रसीद वर्ष 1983–84 ई0 तक निर्गत हुआ जिसका रसीद संख्या–798031 है। फिर सुखदेव सिंह तारीख 25.04.1987 ई में अपने पुतोह 1. श्रीमती उर्मिला देवी, पति–मोहन सिंह, 2. श्रीमती मरछी देवी, पति–लखन सिंह को उक्त खाता प्लॉट रकवा को रजिस्ट्री संख्या–1779 तारीख 25.04.1987 को कर दिये रजिस्ट्री संख्या–1779 तारीख 25.04.1987 को कर दिये रजिस्ट्री के पश्चात् उनके नाम से दाखिल खारिज केश संख्या–594/2010–11 ई0 में दर्ज हुआ जिसका ऑनलाईन में दर्ज हुआ जो अभी भी ऑनलाईन डिमाण्ड रजिस्ट पर दर्ज वो अंकित है। वर्ष 1972 ई0 में श्रीमती करमी देवी, जौजे–देवधारी सिंह, साकिन–बहेरी, पो0–कोबना, थाना–हंटरगंज जिला–चतरा ने 1. लखन सिंह, 2. मोहन सिंह दोनों पिता–सुखदेव सिंह, साकिन–बेहरी थाना–हंटरगंज पो0–कोबना, जिला–चतरा को तारीख सख्या–04.02.1972 ई0 में खाता संख्या–98, प्लॉट सख्या–479 रकवा–0.68 ए0 मधे रकवा–0.22 1/2 ए0 जिसका चौहद्दी उत्तर–रामदयाल दुबे, दक्षिण–रामदयाल दुबे, पुरब–अहरा, पश्चिम–सड़क वो प्लॉट संख्या–443 रकवा–4.81 ए0 मधे रकवा–1.60 ए0 जिसकी चौहद्दी उत्तर वीर सिंह, दक्षिण–शामलाल वो मुवाली भुईयॉ, पुरब–सड़क, पश्चिम–मुवाली भुईयॉ रजिस्ट्री संख्या–448, दिनांक–04.02.1972 को कर दिये उक्त खाता प्लॉट वो रकवा के जमीन का दाखिल खारीज होकर लगान रसीद कटते आ रहा है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष का खरीदगी का कुल जमीन 0.92+1.82 1/2 कुल रकवा–2.74 1/2 भूमि है तथा उनके दादा पुनीत सिंह के नाम से 6.10 ए0 जमीन है। द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित सिडयुल "B" वंशावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुनीत सिंह के तीन पुत्र है क्रमशः 1. रामेश्वर सिंह, 2. सुखदेव सिंह 3. देवधारी सिंह प्रश्नगत भूमि का कुल रकवा–6.10 ए0 जिसे तीन भागो में बॉटा गया जिसमे प्रत्येक पुत्र को 2.03 ए0 भूमि हिस्सा होता हैं। इस प्रकार द्वितीय पक्ष के द्वारा रामेश्वर सिंह के दो पत्नी रूपवती देवी एवं सीता देवी जिसमें रूपवती देवी के पुत्र कलु सिंह उर्फ कालेश्वर सिंह तथा दुसरी पत्नी सीता देवी से 06.12.1953 को थाना सख्या–79 खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–479, रकवा–0.22 ए0 एवं प्लॉट संख्या–443,

रकवा–0.70 ए0 कुल रकवा–0.92 ए0 भूमि क्रय किया गया। रामेश्वर सिंह के वंशज के द्वारा अपने हिस्से के मुताबिक कुल रकवा–2.03 ए0 मे से 0.92 ए0 बिक्री के पश्चात् अवशेष 1.11 ए0 भूमि शेष बचता है। द्वितीय पक्ष के द्वारा देवधारी सिंह के पत्नी से करमी देवी ने रजिस्ट्री संख्या–448 दिनांक–04.02.1972 ई0 को खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–479, रकवा–0.68 ए0 मधे रकवा–0.22 1/2 ए0 तथा प्लॉट संख्या–443, रकवा–4.81 मधे रकवा–1.60 ए0 कुल रकवा–1.82 1/2 ए0 भूमि का क्रय 1. लखन सिंह, 2. मोहन सिंह दोनो पिता–सुखदेव सिंह ने किया भूमि क्रय के पश्चात् उक्त खाता प्लॉट वो रकवा के जमीन का दाखिल खारिज होकर रसीद भी कटते चला आ रहा है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि मौजा–बहेरी, खाता सख्या–98, प्लॉट संख्या–443, 479 रकवा–1.80 2/3 ए0 भूमि का मामला हक एवं हकियत से संबंधित है जिसका निष्पादन इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आवेदक का आवेदन को (अस्वीकृत) किया जाता है।''

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन/कागजात एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार पर निम्न बिन्दु परिलक्षित होता है :–

⟹ **गैरमजरूआ खास भूमि का मामला।**

⟹ **गैरमजरूआ खास भूमि का मामला** – अंचल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया गया है कि–''राजस्व कर्मचारी के द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम–बहेरी, थाना संख्या–79 के अंदर खाता संख्या–98, प्लॉट संख्या–443, रकवा–1.10$\frac{1}{2}$ ए0 का दान पत्र केवाला संख्या–1861 दिनांक–16.06.1988 के द्वारा समुद्री देवी, पति–देवनारायण सिंह से प्राप्त है जिसका सरकारी लगान रसीद पंजी–2 के पेज सख्या–68/3 दा0 खा0 केश संख्या–326/91–92 के द्वारा दर्ज होकर वर्ष 2010–11 तक निर्गत है प्रतिवेदित भूमि पर आवेदिका द्वारा मकान निर्माण करने के लिए बुनियाद खोदा के समय द्वितीय पक्ष आकाश कुमार, विकास कुमार, पिता–मोहन सिंह, प्रवीण कुमार, पिता–लखन सिंह, मोहन सिंह, पिता–स्व0 सुखदेव सिंह, अनिता देवी, पति–गोपान सिंह, बेबी देवी, पति–आकाश कुमार एवं अन्य ग्राम–बहेरी के द्वारा विवाद किया गया एवं बुनियाद खोदने से रोका गया। अतः दोनो पक्षों को नोटिस निर्गत कर मूल कागजात की मांग करते हुए अंचल अमीन से मापी कराते हुए अग्रेतर

कार्रवाई की जा सकती है। **भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है।"**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के द्वारा निर्गत विभिन्न पत्रांक–1704/रा0, दिनांक–15.07.2020, पत्रांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016, पत्रांक–2861/रा0, दिनांक–08.06.2017, पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 एवं 2884/रा0, दिनांक–10.07.2018 एवं 6205/रा0, दिनांक–27.12.2017 के माध्यम से अवैध जमाबंदी को रद्द करने तथा नियमित करने एवं अन्य से संबंधित मामले पर दिशा–निर्देश प्राप्त है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में विधिसम्मत/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही भूमि के किस्म (खतियान के अनुसार गैरमजरूखास परती कदीम, जंगल–झाडी, जंगल, परती नाली आदि) के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई करना है। अतः अंचल अधिकारी, हण्टरगंज को आदेश दिया जाता है कि संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए, भूमि से संबंधित कागजातों जैसे (खतियान, रजिस्टर II एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न–भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए तथा साथ ही साथ यह भी जांच कर संतुष्ट हो लें कि जमाबंदी कब कायम हुई है तथा सरकारी रसीद कब से निर्गत हो रही है तथा वन विभाग से भी स्पष्ट हो ले कि संबंधित भूमि वन सीमा से अंदर है या बाहर तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा T.N. Godavarman Thirumal Vs Union of India 1995 से संबंधित वाद में पारित आदेश का अवलोकन करने के पश्चात् नियमसंगत/विधिसम्मत् अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः अंचल अधिकारी, हण्टरगंज को अग्रतर कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

ह0 19/7/23 ह0 19/7/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.04 08:44:00 -07:00
Location: 2409:40e4:46:f988:3cdd:4fd4:3279:4ffe